श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़–249 199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalaya

Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand 249 199

Ref: 1406 /SDSUV/RO/Affi.-2014-15 Date: 21/02/2015.

कार्यालय ज्ञाप

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा समीचीन कार्यवाही के उपरान्त, माननीय कुलाधिपति की स्वीकृति के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथासंशोधित) के अध्याय 6 की धारा 33(1) के अधीन निम्नाकिंत महाविद्यालयों/संस्थानों को कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त स्तम्भ–3 में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि (सत्र–2014–15) के लिए नवीन अस्थाई समबद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है:–

क्रम संख्या	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	**कोर (COER) स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, रूड़की वर्धमानपुरम, रूड़की, हरिद्वार।**	**बी0बी0ए0** **बी0सी0ए0** **बी0कॉम0**(सी0एफ0ए0)	60 सीट 60 सीट 60 सीट	शैक्षणिक सत्र 2014–15	कुलाधिपाति सचिवालय दिनांक–14 जनवरी 2015 के पत्रांक–3263/जी0एस0/शिक्षा/A11-67/2015,
2.	**आशादेई डिग्री कॉलेज, भोगपुर, हरिद्वार।**	**बी0ए0** (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास व समाजशास्त्र)	प्रत्येक विषय में 60 सीट	शैक्षणिक सत्र 2014–15	कुलाधिपाति सचिवालय दिनांक– 13 जनवरी, 2015 के पत्रांक–3239/जी0एस0/शिक्षा/A11-68/2015,
		बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)	रसायन के अतिरिक्त प्रत्येक विषय में 60 सीट एवं रसायन में 120 सीट		
3.	**स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्रा0 मतलबपुर, रूड़की, हरिद्वार।**	**बी0ए0** (हिन्दी, अग्रेंजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र)	प्रत्येक में 40 सीट	शैक्षिक सत्र 2014–15 हेतु	कुलाधिपति सचिवालय दिनांक– 16 जनवरी 2015 के पत्रांक– 3309/जी0एस0/शिक्षा/A11-101/2014,
		बी0एससी0(भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, व कम्प्यूटर विज्ञान)	प्रत्येक में 60 सीट		
		बी0कॉम	60 सीटें		

1. सत्र के प्रारम्भ में संस्थान/महाविद्यालय अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय/शासन एवं कुलाधिपति के आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
3. पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर अवधि विस्तारण हेतु सभी मानक पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात् ही शैक्षणिक सत्र 2014–15 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
4. संस्थान को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
5. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
8. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
9. सम्बद्धता हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में कमियां परिलक्षित होने पर निरीक्षण मण्डल के सदस्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि **संस्थान द्वारा नियामक संस्था/यू0जी0सी0/ शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एंव निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पायी जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है तो विश्वविद्यालय एंव निदेशक द्वारा संस्थान की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।**
11. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ–साथ फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किये जायेगें तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
12. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
13. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानको के अनुरूप अनिवार्य रूप में क्रास चैक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि ससमय–समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा द्वारा की जायेगी।
14. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
15. पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धत विस्तारण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
16. संस्थान द्वारा उक्त शर्तो का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(एच0एस0 बिष्ट),
कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्रीमान कुलाधिपति, राजभवन देहरादून को सूचनार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. समस्त प्राचार्य/निदेशक, सम्बन्धित संस्थान।
4. निजी सचिव, कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव।
6. वित्त अधिकारी।
7. कार्यालय प्रति।

(एच0एस0 बिष्ट),
कुलसचिव।

कुलसचिव
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़–249 199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalaya

Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand 249 199

Ref: 1244/SDSUV/RO/Affi.-2014-15 Date: 07/09/2015.

कार्यालय ज्ञाप

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा समीचीन कार्यवाही के उपरान्त, माननीय कुलाधिपति की स्वीकृति के क्रम में पत्रांकः–2047/जी0एस0/शिक्षा/A11-97/2015, दिनॉक–11 अगस्त, 2015 द्वारा, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय 6 की धारा 33(1) के अधीन निम्न संस्थान को विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्तम्भ–3 में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी हैः–

क्रम संख्या	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	दून बिजनेस स्कूल, सेलाकुई, देहरादून।	बी0एससी0–कृषि	60 सीट	शैक्षिक सत्र
		बी0एससी0–वानिकी	60 सीट	2014–15 हेतु

1. सत्र के प्रारम्भ में संस्थान/महाविद्यालय अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा। संस्थान में नियुक्त फैकल्टी के अनुमोदन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2009 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का आवश्यक रूप से अनुपालन किया जाना होगा।
2. संस्थान को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
3. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन कॉलेज द्वारा किया जायेगा।
4. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसमें कॉलेज को कोई आपत्ति नहीं है।
5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
6. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
7. सम्बद्धता हेतु शासन को उपलबध कराये जाने वाले प्रस्तावों में कमियां परिलक्षित होने पर निरीक्षण मण्डल के सदस्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा नियामक संस्था/यू0जी0सी0/ शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एंव निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पायी जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है तो विश्वविद्यालय एंव निदेशक द्वारा संस्थान की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया

जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

9. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, अंकपत्रों की प्रतियां, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
10. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
11. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयेग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से क्रास चैक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा द्वारा की जायेगी।
12. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
13. पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
14. संस्थान को शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
15. संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय, शासन एवं मा0 कुलाधिपति के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
16. संस्थान द्वारा उक्त शर्तो का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी, अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(चन्द्र मोहन सिंह),
प्रभारी कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्रीमान कुलाधिपति, राजभवन देहरादून को सूचनार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. प्राचार्य/निदेशक, सम्बन्धित संस्थान।
4. निजी सचिव, कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव।
6. वित्त अधिकारी।
7. कार्यालय प्रति।

(चन्द्र मोहन सिंह),
प्रभारी कुलसचिव।

कुलसचिव
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल, टिहरी ग